Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[Supply Revision No.-31/2025]

Sudha Kumari.....Revisionist.

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	17.4.2026	**आदेश** यह Supply पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, पूर्णिया के आपूर्ति अपील वाद सं.-69/2024 में दिनांक-04.4.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-08.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। सुनवाई में पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बड़हरा कोठी के द्वारा दिनांक-23.7.2024 को उनके जन वितरण प्रणाली दुकान (अनुज्ञप्ति सं.-09/2023) का भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसके उपरान्त उनके द्वारा पत्रांक-97 दिनांक-24.7.2024 के माध्यम से प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, धमदाहा को समर्पित किया गया। जिसमें आवेदिका के द्वारा जन वितरण प्रणाली से संबंधित कार्यों के विरूद्ध कुल 04 (चार) अनियमिमता बरते जाने का आरोप लगाया गया। जिसके उपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, धमदाहा के स्तर से आवेदिका से प्रथम स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में आवेदिका के द्वारा उनपर लगाये गये सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। परन्तु अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाते हुए पुनः द्वितीय स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में आवेदिका की ओर से दोबारा सभी लगाये गये आरोपों को गलत बताते हुए स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। तथा यह कि आवेदिका के द्वारा समर्पित द्वितीय स्पष्टीकरण पर बिना कोई जाँच-पड़ताल किये ही पुनः संतोषजनक नहीं पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, धमदाहा के द्वारा आदेश ज्ञापांक-316/आ. दिनांक-06.8.2024 के माध्यम से आवेदिका के जन वितरण प्रणाली संबंधित अनुज्ञप्ति सं.-09/2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उनका कहना है कि उनके स्तर से जन वितरण प्रणाली से संबंधित किसी भी प्रकार को कोई अनियमितता नहीं की गई है। तथा यह कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में दुकान खुला हुआ पाया गया, सूचना पट्ट भी लगा हुआ पाया गया, स्टॉक रजिस्टर भी दुकान पर प्रदर्शित किया गया एवं दुकान पर खाद्य सामग्री भी निर्धारित मात्रा में पाई गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सिर्फ 06 लोगों द्वारा उनके विरूद्ध अनाज की निर्धारित मात्रा से कम देने एवं रसीद नहीं देने का आरोप लगाया गया, जिसके उपरान्त उनके अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की गयी। तथा यह कि उक्त 06 लोगों में से 01 व्यक्ति उनके पी.डी.एस. दुकान का लाभुक भी नहीं है एवं शेष 05 लोग पी.डी.एस. अनुज्ञप्ति पाने हेतु इच्छुक हैं। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश (04.4.2025) को निरस्त करते हुए पुनः उनके पी.डी.	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

17.4.2026

एस. अनुज्ञप्ति सं.-09/2023 को बहाल करने का अनुरोध किया गया है ।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है । तथा अपीलाधीन आदेश में प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष पुनरीक्षणकर्त्ता (PDS Dealer) के जन वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया ।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बड़हरा कोठी के पत्रांक-97 दिनांक-24.7.2024 के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, धमदाहा के आदेश ज्ञापांक-316/आ. दिनांक-06.8.2024 से Petitioner के PDS अनुज्ञप्ति सं.-09/2023 को रद्द किया गया । तथा समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं.-69/2024 में अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा के आदेश को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया । सुनवाई में Petitioner द्वारा समर्पित कागजातों यथा-लाभुकों के बयान, योजना स्टॉक रजिस्टर की छायाप्रति, खाद्यान्न का दैनिक बिक्री पंजी आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि Petitioner के स्तर से दैनिक रूप से दुकान का संचालन किया जा रहा था । अभिलेख में रक्षित लाभुकों के बयान में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि " हम सभी लाभुकों को unit के हिसाब से सही समय एवं उचित मात्रा में खाद्यान्न मिलता है । हम लोगों को ज.वि.प्र. विक्रेता सुधा कुमारी से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है । हम सभी लाभुक रसीद प्राप्त कर ही खाद्यान्न लेता/लेती हूँ ।" उक्त बयान पर कुल 60 लाभुकों का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान मौजूद है । कागजातों के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि आवेदिका की ओर से उपस्थापित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्यों पर विधिमान्य Findings अंकित किये बिना ही अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के स्तर से आवेदिका के अनुज्ञप्ति सं.-09/2023 को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है । जो यथोचित नहीं है । साथ ही समाहर्त्ता, पूर्णिया के न्यायालय में दायर आपूर्ति अपील वाद सं.-69/2024 में भी उक्त के संदर्भ में कोई सकारण आदेश अंकित नहीं है । अपीलाधीन आदेश के आधार पर ही अपीलवाद में आदेश पारित किया गया है । सुनवाई में आवेदिका की ओर से उठाये गये उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं के संबंध में विपक्षी की ओर से कोई Counter Evidence प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । इस मामले में यह भी दृष्टिगत है कि Petitioner का PDS अनुज्ञप्ति वर्ष 2023 का है । तथा एक वर्ष के अंदर ही अनियमितता के आरोप पर अनुज्ञप्ति रद्द कर देना Excessive कार्रवाई प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त Findings के आधार पर न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं.-69/2024 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है । तथा भविष्य में जन वितरण प्रणाली दुकान संचालन से संबंधित Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार PDS दुकान का संचालन करने के शर्त के साथ आवेदिका (PDS Dealer) के अनुज्ञप्ति सं.-09/2023 को Reinstate किया जाता है ।

इस आदेश की प्रति LCR के साथ समाहर्त्ता, पूर्णिया को भेजें । आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, धमदाहा को अनुपालन हेतु भेजें ।

17/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया ।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित ।
17/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया ।